

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 8335

दिनांक - 18.09.25

प्रार्थी
1 हरचंद पुत्र वगता जाति
जाट निवासी मायलों का डेर
तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला
बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 तुलसा 2 नारणा 3 पेमा पिसरान काना 4 गेरो
पत्नी देवा 5 घमण्डा 6 जोगा 7 पुरा 8 हनुमान
पिसरान देवा 9 तेजा 10 हेमा पिसरान मूला जाति
जाट निवासी मायलों का डेर 11 किस्तुराराम 12
खेताराम 13 चुनाराम पिसरान कानाराम जाति जाट
निवासी कड़वासरों की ढाणी, खुड़ासा तहसील बाडमेर
ग्रामीणा जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 396/2025

दिनांक- 15/09/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मायलों का डेर पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण
जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 314/251 रकबा 6.1836 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त
किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के
जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी
नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान
की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ
रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

दिनांक- 18.09.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 8336-39

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य
अंकित करें।
2. पटवारी खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय
रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी हरचंद पुत्र वगता जाति जाट निवासी मायलों का डेर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला
बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण तुलसा पुत्र काना वगैराह जाति जाट निवासी मायलों का डेर तहसील बाडमेर
ग्रामीण जिला बाडमेर।



उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर